

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 180/2025

वाद पत्र अंधारा :- 88 आरटीए

1. अरविन्द कुमार

2. कमलदीप

पुत्रगण राजपाल जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

- वादीगण

बनाम्

1. राजपाल पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

2. उर्मिला पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

तहसीलदार राजस्व संगरिया

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 22.4.2025

यह राजस्व नुकदमा आज मुझ सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते
मुझ कलेक्टर रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादीगण मिन जानिब मुदायला
वं श्री सुभाष कासनिया वकील प्रतिवादी स 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया
जाता है एव यह डिक्री दी जाती है कि चक 25/1 ए.एम.पी ज.स. 2073-2076 खाता स
119/33 मे वादीगण को 4.807 है ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से
प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे

नोट-बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावे।

निज..........निल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक..........अदा करें।
वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.4.2025 जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया